

आयकर (पांचवें संशोधन) नियम, 2013 - नियम 30, 31 व 31 ए और फार्म ओपन स्कूल की प्रविष्टि में संशोधन.  
16B और 26QB और पर्चा NO के प्रतिस्थापन. 24Q

अधिसूचना सं. 39/2013 [F.NO.133/23/2013-SO (टीपीएल) (Pt.)]/ तो 1404 (ई), 31-5-2013 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (196 में से 43]) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1 (1) इन नियमों का आयकर (पांचवें संशोधन) नियम, 2013 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, नियम 30 में (बाद में कहा कि नियम के रूप में) -

(क) उपनियम के बाद (2), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"(2) उपनियम (1) या उप नियम में किसी बात के होते हुए भी (2), धारा 194-आइए तहत कटौती की किसी भी राशि अंत में से सात दिन की अवधि के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाएगा कटौती की है और महीने में जो फार्म सं 26QB में एक चालान व बयान के साथ किया जाएगा. ";

(ख) उपनियम के बाद (6), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

कर कटौती फार्म सं 26QB, तो काट ली में निर्धारित समय के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक जारीकर्ता द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए जमा किया जाएगा कर की राशि में एक चालान व बयान के साथ जमा किया जा रहा है कहाँ "(6A) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक में उपनियम (2 क). ";

(सी) उपनियम के बाद (7), निम्न उप नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"(7A) आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक और इलेक्ट्रॉनिक राशि remitting के प्रयोजनों के लिए स्वरूपों और मानकों जिम्मेदार होंगे इसलिए निर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि की प्रेषक के संबंध में दिन के लिए दिन के प्रशासन के लिए. ";

(3) कहा नियमों के नियम 31 में, -

(एक) उपनियम के बाद (3), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"(3) उपनियम (1) या उप नियम (2) या उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194-आइए तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती का प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करेगा आय के महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट वेब पोर्टल से एक ही पैदा करने और डाउनलोड करने के बाद शासन 31A के तहत फार्म सं 26QB में चालान व बयान प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर आदाता के लिए फार्म नं 16B में स्रोत टैक्स (सिस्टम) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति. ";

(ख) उपनियम के बाद (6), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"(6A) आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक प्रक्रिया, स्वरूपों और पीढ़ी और प्रमाण पत्र के डाउनलोड करने के प्रयोजनों के लिए मानकों को निर्दिष्ट करेगा और पीढ़ी और डाउनलोड करने के संबंध में दिन के लिए दिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे उसे या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाण पत्र के. ";

(4) कहा नियमों के नियम 31 क में, उपनियम के बाद (4), निम्नलिखित उपनियम, अर्थात् डाला जाएगा: -

"(4 क) उपनियम में किसी बात के होते हुए भी (1) या उप नियम (2) या उप नियम (3) या उप नियम (4), धारा 194-आइए तहत कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति प्रस्तुत करेगा आयकर महानिदेशक (सिस्टम) या आयकर महानिदेशक (सिस्टम) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उप के तहत निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, स्वरूपों और मानकों के अनुसार पर्चा No.26QB में एक चालान व बयान के लिए अधिकृत व्यक्ति को कटौती की है, जिसमें इस महीने के अंत से सात दिन के भीतर शासन (5). ";

प्र.5. परिशिष्ट द्वितीय में कहा नियमों का, -

(एक) फार्म सं 16AA के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -

कोई रूप. 16B

(ख) फार्म सं 24Q के लिए, निम्न प्रपत्र अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

कोई रूप. 24Q

(ग) फार्म सं 26QAA के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: -

